125

समक्ष माननीय सदस्य म0 प्र0 राजस्व मण्डल सर्किट कैम्प भोपाल

प्रकरण क्र. /निगरानी/15

नि/3424/I/15

1. अब्दुल रकीब आ0 मरहूम अव्दुल रफीक
2. मो0 नफीस आ0 मरहूम अव्दुल रफीक
3. मो0 अनीश आ0 मरहूम अव्दुल रफीक
4. जाहिदा बी पुत्री मरहूम अव्दुल रफीक
5. साहिदा बी पुत्री मरहूम अव्दुल रफीक
6. रिहाना बी पुत्री मरहूम अव्दुल रफीक
7. बेगम पत्नी मरहूम अव्दुल रफीक

निवासीगण मुगल टोला विदिशा म0प्र0 ....आवेदकगण

विरूद्ध

1. अब्दुल हफीज आ0 मरहूम अव्दुल गफूर
2. अब्दुल हनीफ आ0 मरहूम अव्दुल गफूर
3. मो0 शफीक आ0 मरहूम अव्दुल गफूर
4. अब्दुल रहमान आ0 मरहूम अव्दुल गफूर
5. अब्दुल रहीम आ0 मरहूम अव्दुल गफूर
6. जरीना पुत्री मरहूम अव्दुल गफूर - नि० मुगलटोला विदिशा म०प्र०
7. म0प्र0 शासन ....अनावेदकगण

म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदकगण विद्वान अपर आयुक्त भोपाल सभांग भोपाल द्वारा उनके प्रकरण क0 624/अपील/14–15 में पारित आदेश दिनांक 06/10/15 से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है ।

:: प्रकरण के तथ्य ::

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सेठिया तहसील एवं जिला विदिशा स्थित भूमि खसरा क0 16/2 रकवा 2.007 हेक्टयर भूमि राजस्व रिकार्ड में आवेदकगण क0 1 लगायत 5 एवं आवेदक क0 7 कि सास तथा अनावेदकगण कि मॉ सईदानिशा के नाम पर दर्ज थी। उक्त 2.007 हेक्टयर भूमि में से 3 बीघा भूमि एवं विदिशा में स्थित पुस्तैनी मकान का एक भाग के सबन्ध में सईदानिशा द्वारा अपने जीवनकाल में आवेदकगण के पक्ष में हिबा किया गया था। आवेदकगण क0 1 लगायत 5 एवं आवेदक क0 7 कि सास तथा अनावेदकगण कि मॉ सईदानिशा के इन्तकाल के उपरान्त अनावेदकगण द्वारा अधिनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदकगण को पक्षकार बनाये विना ही नामान्तरण वावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था । अधिनस्थ तहसील न्यायालय ने प्रकरण क0 43/अ–6/13–14 में पारित में पारित आदेश दिनांक 28/07/14 के द्वारा उक्त भूमि पर उभय पक्षो का नामान्तरण करने के आदेश दिये ।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 3424-I/15 जिला विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-1-17	आवेदक की ओर से श्री. [illegible] सिंह ठाकुर अधि०। उनके द्वारा आवेदन आदेश 23 नियम 1 CPC अंतर्गत प्रस्तुत कर प्रकरण को पुनः [illegible] हेतु [illegible] करने की अनुमति [illegible] तथा आवेदन [illegible] उच्चतर न्यायालय की decree की copy प्रस्तुत की। विचारोपरांत प्रस्तुत आवेदन स्वीकार पाया है और प्रकरण इस स्तर पर वापस लिया जाता है। पश्चात पूर्ति के अभिलेखागार भेजा जावे [signature] सदस्य	[signature] 12/1/17 श्री [illegible] A. [illegible] 12/01/2016
R/[illegible]		

कृ.प.उ.